

<sup>1</sup>[**Rule 142A : Procedure for recovery of dues under existing laws**

- (1) A summary of order issued under any of the existing laws creating demand of tax, interest, penalty, fee or any other dues which becomes recoverable consequent to proceedings launched under the existing law before, on or after the appointed day shall, unless recovered under that law, be recovered under the Act and may be uploaded in **FORM GST DRC-07A** electronically on the common portal for recovery under the Act and the demand of the order shall be posted in Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.
  - (2) Where the demand of an order uploaded under sub-rule (1) is rectified or modified or quashed in any proceedings, including in appeal, review or revision, or the recovery is made under the existing laws, a summary thereof shall be uploaded on the common portal in **FORM GST DRC-08A** and Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01** shall be updated accordingly.]
- 

---

<sup>1</sup> Rule 142A inserted by Noti. No. 60/2018–Central Tax, dt. 30-10-2018 w.e.f. 30-10-2018.

**<sup>1</sup>[नियम 142क :विद्यमान विधियों के अधीन शोध्य के वसूली की प्रक्रिया**

- (1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध्य सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती हैं जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग की इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में अंकित किया जाएगा।
- (2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्ही कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिसंज्ञित किया जाता है तो उसका सार, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8क में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।]

---

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 60/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा नियम 142क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।